न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, गोण्डा।

उपस्थित–सूर्य प्रकाश सिंह, {एच0जे0एस0}.....यू0पी0 6272

दाण्डिक निगरानी सं0–520/2024

CNR No. UPGD01005485-2024

1. विजय कुमार उम्र 45 साल पुत्र श्याम बिहारी
2. अवधेश कुमार उम्र 50 साल पुत्र श्याम बिहारी
3. अजय कुमार उम्र 35 साल
4. नीरज उम्र 24 साल — पुत्रगण कुंज बिहारी
5. सूरज उम्र 20 साल

निवासीगण–ग्राम गौहानी थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

.....**निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. श्रीमती ललिता उम्र करीब 56 वर्ष पुत्री राजाराम पत्नी इन्द्रपाल शुक्ला
2. सीतापती उम्र 45 साल पुत्री राजाराम पत्नी इन्द्रभान शुक्ला
3. वेद प्रकाश शुक्ला उम्र 50 साल पुत्र इन्द्रभान शुक्ला

निवासीगण ग्राम–गौहानी थाना–तरबगंज, जनपद गोण्डा।

.....**विपक्षीगण**

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी धारा–438/440 बी.एन.एस.एस के तहत विचारण न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट तरबगंज जिला गोण्डा द्वारा वाद संख्या–94/2024 श्रीमती ललिता देवी प्रति अवधेश कुमार आदि में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 12.09.2024 से क्षुब्ध होकर निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा–164(1) बी.एन.एस.एस के तहत दिनांक–12.09.2024 को पारित किए गए आदेश में घोर अनमितता बर्ती गयी है तथा उक्त प्रश्नगत आदेश अशुद्ध, अवैध एवं औचित्यपूर्ण है। विचारण न्यायालय को अन्तर्गत धारा–164(1) बी.एन.एस.एस के तहत विभिन्न निर्णय विधि से सुस्थापित विधिक स्थित के तहत विचारण न्यायालय से अपेक्षित होता है कि वह अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करे और आदेश में विधिक मस्तिष्क का प्रयोग होना चाहिए किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन न करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय आदेश है। उक्त जमीन आबादी की जमीन है। प्रार्थी पुश्तदार–पुश्त पक्का मकान बनाकर अपना गुजर–बसर कर रहे हैं। जिस

पर करीब 70 साल से प्रार्थी का मकान भी बना हुआ है। प्रश्नगत मामले में व्यवहार न्यायालय में मुकदमें लम्बित चले आ रहे है। अन्तर्गत धारा–164(1) बी.एन.एस.एस के अधीन कार्यवाहियॉ उस समय प्रारम्भ या जारी नहीं की जा सकी जहॉ सिविल वाद या विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में लम्बित हो यदि भविष्य में शन्तिभंग की सम्भवना हो तो शन्ति भंग के निवारण के लिए दण्ड प्रक्रिया सं0–107, 116 के प्राविधानों को अविलम्ब लिया जा सका है। अन्तर्गत धारा–164(1) बी.एन.एस.एस प्राविधानों के तहत कार्यवाही समर्थनीय नहीं है। प्रश्नगत मामले में निगरानीकर्ता को प्रेषित की गयी नोटिस में किसी भी मुकदमा नम्बर का उल्लेख नहीं है। मामला आबादी की भूमि से सम्बन्धित है। जिस पर निगरानीकर्ता गण का मकान बना हुआ है और पुश्त से पुश्त कब्जा चला आ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 145(1), 146(1) सी0आर0पी0सी0 में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय होने का अभिमत जारी किया गया है। उपरोक्त धाराएं 01.07.2024 से धारा–164(1) बी.एन.एस.एस में परवर्तित हो चुकी है। इसलिए उपरोक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय होने के नाते ग्राहय किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक आदेश दिनांक–12.09.2024 न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने की याचना की गयी है।

निगरानीकर्ता द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 24ख से निम्नलिखित प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है–

1. सी.एच. नकल गाटा सं0–972, 1602 श्याम बिहारी,
2. नकल सी.एच 45 ग्राम गौहानी परगना डिकसिर तह0 तरबगंज, गोण्डा।
3. परिवार रजिस्टर नकल म0नं0–416 मुखिया कुंजबिहारी
4. परिवार रजिस्टर नकल म0नं0–415 मुखिया विजय कुमार
5. छायाप्रति परिवार रजिस्टर नकल म0नं0–414 मुखिया अवधेश कुमार
6. खतौनी खातेदार अवधेश कुमार कुल 14 अदद

विपक्षी की तरफ से आपत्ति पत्र 19ख प्रस्तुत करते हुए विरोध किया गया है कि उपजिला मजिस्ट्रेट तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा अपने आदेश दिनांकित 12.09.2024 को प्रार्थी के नाना द्वारा बैनामा दिनांकित 22.07.1995 के माध्यम से प्राप्त सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया है, जोकि विधि सम्मत है। स्थानीय पुलिस द्वारा पगरना मजिस्ट्रेट तरबगंज गोण्डा को इस आशय की कानूनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि विवादित सम्पत्ति परमेश्वर पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री राम पाण्डेय जो कि नावल्द थे जिन्होंने 1955 में अपनी पूरी सम्पत्ति जिसमें खेती व आबादी की जमीन सहित मकान सहन आदि की जमीन प्रार्थी/आपत्तिकर्ता के नाना राजाराम पुत्र गणेश दत्त पाण्डेय निवासी ग्राम गौहानी को लिखा पढ़ी कर पंजीकृत कराकर कब्जा व दखल दे दिए थे उक्त राजाराम ने अपने जीवन काल

में स्वयं व उपभोग किए उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी दो पुत्रियां क्रमशः ललिता देवी व सीतारानी जो आपत्तिकर्ता की मां हैं को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई। उक्त राजाराम पाण्डेय ने आबादी की जमीन में बना मकान श्याम बिहारी व कुंज बिहारी पुत्रगण जग बन्धन तिवारी निवासीगण ग्राम गौहानी थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा को इनकी गरीबी व समस्या को देखते हुए इनको देखते हुए इनको रहने हेतु दिया और यह भी कहा कि दोनों भाई जब अपना आवास बनाने में सक्षम हो जाएगे तब उक्त आवास की भूमि खाली कर देगें। श्याम बिहारी के लड़के अवधेश कुमार व विजय कुमार तिवारी तथा कुंज बिहारी के लड़के अजय कुमार तिवारी, नीरज तिवारी व सूरज तिवारी ने मकान की भूमि को छोड़ने के बजाय अलग–बगल की अन्य जमीनों पर कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे मौके पर शान्ति भंग का अंदेशा बन गया और किसी भी समय हत्या बल्वा जैसे संगीन अपराध की प्रबल सम्भावना हो गयी। स्थानीय पुलिस की उपरोक्त रिपोर्ट को देखने के पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर प्रारम्भिक आदेश निर्गत कर दिया और उभयपक्षों को अपना–अपना लिखित व मौखिक साक्ष्य देने हेतु कहा गया, किन्तु निगरानीकर्तागण पर नोटिस का पर्याप्त तामीला होते हुए भी वे अदालत उपस्थित नहीं आए जिससे परगना मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। परगना मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट व 1955 का दस्तावेज बैनामा के साक्षिक मूल्य को अवलोकित करते हुए दिनांक–12.09.2024 को विवादित सम्पत्ति को कुर्क कर दिया गया। आपत्तिकर्ता की सहमति से मौके पर रिहायसी मकान को छोड़ कर अन्य खाली पड़ी भूमि को कुर्क कर दिया गया। निगरानीकर्तागण विवादित सम्पत्ति में बने मकान में अब अपना अधिकार साबित कर अपने ही में अनमुक्त कराने का अधिकार अभी अवशेष है। जो भी पक्ष साक्ष्य द्वारा अपना पक्ष साबित करेगें। विचारण न्यायालय उन्हीं के पक्ष में सम्पत्ति रिलीज कर देगी। इस तरह विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से किसी पक्षों को कोई भी हानि नहीं है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश कायम रहने योग्य है। निगरानीकर्ता सं0–3 व 4 क्रमशः अजय कुमार एवं नीरज पुत्रगण कुंज बिहारी ने भी विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश का समर्थन जरिए शपथ पत्र किया है और कहा है कि उपरोक्त निगरानी प्रस्तुत करते समय निगरानीकर्ता सं0–3 व 4 का हस्ताक्षर/नि0अं0 नहीं है और अन्य निगरानीकर्ता ने फर्जी तरीके से हस्ताक्षर/नि0अं0 लगाया है। उक्त कथनों आधार पर आपत्ति पत्र स्वीकार कर निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। सम्पूर्ण पत्रावली एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 12.09.2024 का सम्यक परिशीलन किया गया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के सम्यक अवलोकन से यह पाया गया कि उपजिला मजिस्ट्रेट तरबगंज, गोण्डा द्वारा अपने पारित आदेश दिनांकित 12.09.2024 इस आशय का पारित किया गया है कि– पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। द्वितीय पक्ष के तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र 165(1) बी०एन० एस०एस० पर सुनी गयी प्रथम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि मुकदमा उपरोक्त आपके न्यायालय पर विचाराधीन है। उक्त वाद जमीनी विवाद को देखते हुए घोर शांति भंग की आशंका है, किसी भी समय फौजदारी व जघन्य अपराध की घटना घटित हो सकती है। पूर्व में थाना तरबगंज की जांच आख्या आ चुकी है। लिहाज न्यायहित में उक्त विवादित भूमि को कुर्क किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी का पत्र स्वीकार करके उक्त विवादित भूमि को कुर्क किए जाने की याचना की गयी है।

मैंने विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों का विधिवत अध्यन किया व सभी परिस्थितियों पर विचार किया। सम्यक रूप से विचारोंपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रथम पक्ष के तरफ से दिनांक 24.07.2024 को बी०एन०एस०एस० की धारा–165(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विरुद्ध किसी के तरफ से कोई आपत्ति दाखिल नही की गयी है। ऐसी दशा में प्रथम पक्ष श्रीमती ललिता देवी के तरफ से दिनांक 24.07.2024 को प्रस्तुत बी०एन०एस०एस० की धारा–165(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नगत विवादित भूमि कुर्क किए जाने योग्य है। अतः मैं विशाल कुमार उपजिला मजिस्ट्रेट तरबगंज, तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा बी०एन०एस०एस० की धारा–165(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्राम गौहान, थाना तरबगंज में स्थित भूमि जिसकी चौहद्दी उत्तर–नाली, मकान अर्जुन पाण्डेय, दक्षिण मकान वादिनी, पूरब–रास्ता, पश्चिम–तालाब है। उक्त भूमि को प्रभारी निरीक्षक तरबगंज द्वारा प्रस्तुत चालानी रिपोर्ट दिनांकित 08.07.2024 व नजरी नक्शा के अनुसार कुर्क किया जाता है तथा प्रभारी निरीक्षक थाना तरबगंज को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को कुर्क कर अपनी अभिरक्षा में ले तथा फर्द कुर्की इस न्यायालय पर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 25.09.2024 को पेश हो।''

उपरोक्त आदेश दिनांकित–12.09.2024 के विरूद्ध आवेदक विजय कुमार के द्वारा निगरानी दाखिल की गयी।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया जाय तो श्रीमती ललिता देवी द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा–145 के अन्तर्गत दिनांक–27.06.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रभारी निरीक्षक तरबगंज द्वारा जाचं करायी

गयी। पत्रावली पर उपलब्ध जांच आख्या दिनांक 08.07.2024 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि स्व0 परमेश्वर पाण्डेय पुत्र स्व0 श्रीराम पाण्डेय जो नावल्द थे वर्ष 1955 में इन्होंने अपनी पूरी अचल सम्पत्ति जिसमें खेती व आबादी की जमीन सहित मकान सहन आदि अपनी जमीन राजाराम पुत्र गणेशदत्त पाण्डेय निवासी ग्राम गौहानी को लिखा पढ़ी दे दिए थे। राजाराम उक्त की मात्र 02 पुत्रियां क्रशः ललिता देवी व सीतारानी हुई। श्रीमती ललिता की शादी इन्द्रभान शुक्ला पुत्र निवासी ग्राम किन्धौरा पूरे शिवदत्त थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के साथ हुई थी जिनसे कोई औलाद नहीं होने पर राजाराम की दूसरी पुत्री सीतारानी से इन्द्रभान शुक्ला का विवाह आपसी सहमति से हो गया था। जिनसे पुत्र वेद प्रकाश, शुक्ला, अखण्ड प्रताप शुक्ला तथ पुत्रियां विजयलक्ष्मी, सीमा पैदा हुई। इसी दौरान पहली पत्नी ललिता से भी एक पुत्री पैदा हुई चूंकि राजाराम की दोनों पुत्रियों का विवाह इन्द्रभान शुक्ला से करीब 50 से 55 वर्ष पूर्व में ही हो गया था। इसलिए तभी से विवाहोपरान्त इन्द्रभान शुक्ला अपनी दोनों पत्नियों के साथ ससुराल गौहानी में रहने लगे जहां पर सभी बच्चे पैदा भी हुए हैं। इस दौरान राजाराम पाण्डेय पुत्र स्व0 गणेशदत्त पाण्डेय आबादी की जमीन में बना मकान जिसका रूख उत्तर दिशा में है को श्याम बिहारी व कुन्ज बिहारी (दोनों सगे भाई) पुत्रगण जगबंधन तिवारी निवासी ग्राम गौहानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को इनकी गरीबी व समस्या को देखते हुए इनको रहने हेतु आश्रय दे दिए थे कि समक्ष होने पर उक्त आवास/जमीन दोनों भाई छोड़ देगें, परन्तु श्याम बिहारी के लड़के अवधेश कुमार तिवारी व विजय कुमार तिवारी तथा कुन्ज बिहारी के पुत्र अजय कुमार तिवारी, नीरज, सूरज तिवारी है, जिसमें से कुछ को छोड़कर अन्य की शादी हो गयी है। जिससे इनके परिवार की संख्या बढ़ गयी है संख्या बढ़ने के कारण पूर्व में आश्रय हेतु ली गयी मकान को छोड़ने के बजाय अगल बगल की शेष अन्य प्रकार की आबादी की जमीनों में जिसे परमेश्वर पाण्डेय ने राजाराम पाण्डेय को दिया था उसमें कब्जा करना शुरू कर दिए हैं जिसमे मौके पर काफी तनाव व कसीदगी व्याप्त है। जिसे मद्देनजर दिनांक–28.06.2024 को रपट सं0–44 समय 14.51 बजे में उभय पक्ष का चालान अन्तर्गत धारा–151,107,116 दं0प्र0 सं0 में किया जा चुका है। उक्त विवादित आबाद की जमीन की कब्जेदारी को लेकर कभी भी शान्तिभंग हो सकती है तथा हत्या, बलवा जैसे संगीन अपराध कारित होने की प्रबल सम्भावना है। जिसके निवारण हेतु तथ उक्त जमीन के मालिकाना हक वाले व्यक्ति को जमीन दिलाने हेतु अन्तर्गत धारा–164 बी.एन. एस.एस की चालानी रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। नक्शा नजरी मुताबिक स्पाट मेमो दिनांकित 25.06.2024 के है जो संलग्न है। उपरोक्त रिपोर्ट को देखने के पश्चात उपजिला मजिस्ट्रेट तरबगंज, गोण्डा द्वारा नोटिस जारी कर प्रारम्भिक

आदेश निर्गत कर दिया और उभयपक्षों को अपना–अपना लिखित व मौखिक साक्ष्य देने हेतु कहा गया, किन्तु निगरानीकर्तागण पर नोटिस का पर्याप्त तामीला होते हुए भी वे समक्ष न्यायालय उपस्थित न आने पर न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट तरबगंज, गोण्डा द्वारा पुलिस रिपोर्ट व 1955 का दस्तावेज बैनामा के साक्षिक मूल्य को अवलोकित करते हुए दिनांक–12.09.2024 को विवादित सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि विपक्षीगण/आपत्तितकर्ता की सहमति से मौके पर रिहायसी मकान को छोड़ कर अन्य खाली पड़ी भूमि को कुर्क कर दिया गया। निगरानीकर्तागण विवादित सम्पत्ति में बने मकान में अब अपना अधिकार साबित कर अवमुक्त कराने का अधिकार अभी अवशेष है, जो भी पक्ष साक्ष्य द्वारा अपना पक्ष साबित करेगें। उपजिला मजिस्ट्रेट तरबगंज, गोण्डा न्यायालय उन्हीं के पक्ष में सम्पत्ति रिलीज कर देगी।

उपरोक्त विशलेषण के आधार पर मैं इस मत का हूॅ कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानितकता, अनियमितता नहीं पायी जाती है। प्रश्नगत आदेश पारित करने में विद्वान विचारण न्यायालय ने कोई भी गलती नही की और प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–12.09.2024 पुष्टि किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता की दाण्डिक निगरानी सं0–520/2024 विजय कुमार आदि बनाम श्रीमती ललिता आदि निरस्त की जाती है तथा विचारण न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट तरबगंज जिला गोण्डा द्वारा वाद संख्या–94/2024 श्रीमती ललिता देवी प्रति अवधेश कुमार आदि में पारित आदेश दिनांकित–12.09.2024 पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की प्रति अविलम्ब विचारण न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
दिनांक–11.06.2026 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–1, गोण्डा।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
दिनांक–11.06.2026 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–1, गोण्डा।

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2026.07.01 21:02:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court